

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट एथॉरिटी



परियोजना कार्यालय, यूपीसीडा
लखनऊ (एक्स-लीडा)
एच0आई0जी0 64-65 सेक्टर-डी,
मानसरोवर कालोनी, कानपुर रोड,
लखनऊ-226012
दूरभाष : 0522-2435514

निर्माण अनुज्ञा पत्र की विधि मान्यता विस्तारित करने के लिये प्रपत्र

सेवा में,

श्री शशि शेखर मिश्रा (सीईओ)
मे0 पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0
12ए-12बी, पार्श्वनाथ प्लेनेट प्लाजा,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ-226010

महोदय,

आपका ग्राम-मीरानपुर पिनवट परगना-बिजनौर तहसील-सरोजनीनगर जनपद लखनऊ में स्थित गाटा संख्या-135,136,145,185,186,187,188,190,203,210, 239, 195,121, 122,146,147,148,149,150,151,152,153,233,133,192,197,200,167,218,219,224,226,225,221,26 2,228,220,193,130,132,134,140,141,142,191,199,201,213,211,196,183,229,214,139,166,205,2 06,215,209,240,198,212,222,227,254,154,261,263,264,176,174पी,175,174पी,177,179 एवं 254 तथा 17 खसरा नम्बरान क्षेत्रफल 320090.00 वर्गमीटर पर पूर्व में भू-विन्यास मानचित्र अनुज्ञा पत्र संख्या-281 दिनांक 13.08.2015 स्वीकृत किया गया है। अनुज्ञा अवधि (05 वर्ष) के आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.05.2023 के माध्यम से कोविड महामारी से उत्पन्न अपात स्थिति के कारण समयान्तर्गत निर्माण कार्य न किये जाने के कारण अनुज्ञा अवधि की समाप्ति तिथि 12.08.2020 से पूर्व अनुज्ञा अवधि 07 वर्ष विस्तारित किये का अनुरोध किया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण भवन विनियामकी 2009 में निर्धारित व्यवस्था के क्रम में निर्माण अनुज्ञा अवधि समाप्ति की तिथि 12.08.2020 से पुनः 05 वर्ष के लिये विस्तारित की जाती है साथ ही आप द्वारा ब्याज सहित अवशेष वाहय विकासात्मक शुल्क धनराशि रु.237624030.00 का भुगतान किया अवशेष है। भू-विन्यास मानचित्र के परिनिर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा आपके आवेदन-पत्र पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वरि0 प्रबन्धके (सिविल)
निर्माण खण्ड-7

कार्यालय संप्रेषण संख्या

पत्र सं0 204 / यूपीसीडा / पी0ओ0 / 134

दिनांक 15/06/2023

प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय (एस) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित सहा0प्रबंधक परि0 को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र एवं शर्तों के अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित कराये।